रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 1987/श्रावण 21, 1909
No. 409] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1987/SRAVAN 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

आदेश

का. आ. 770(अ).—यतः वेलीमेगना गुड न्यूज सोसाइटी हास्पिटल, बिदार-585401 नामक एसोसिएशन को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन पंजीकृत किया गया है ;

और यतः आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वेलीमेगना गुड न्यूज सोसाइटी हास्पिटल, बिदार-585401 निम्नलिखित ढंग से और

निश्चित समय में वर्ष 1981 से 1984 के विदेशी अंशदानों की प्राप्तियों तथा उपयोग की सूचना तथा तत्संबंधी खाते भेजने में असफल रहा है । वेलीमेगना गुड न्यूज सोसाइटी हास्पिटल, बिदार-585401 एक से अधिक बैंकों में खाते भी रख रहा है जबकि उसने मोहन मार्किट, बिदार स्थित केनरा बैंक की शाखा में एक अलग बैंक खाता सं. 9996 के जरिए विदेशी अंशदान स्वीकार करना मंजूर किया था । इस प्रकार उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 और उसके अधीन बनाए गए संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट दंडनीय उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि वेलीमेगना गुड न्यूज सोसाइटी हास्पिटल ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अधीन बनाए गए संबंधित नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निषेध करती है कि उक्त एसोसिएशन, अर्थात् वेलीमेगना गुड न्यूज सोसाइटी हास्पिटल, बिदार-585401 (उसकी शाखाओं और यूनिटों सहित) इस आदेश के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति के बिना कोई विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं करेगी ।

तथापि, एसोसिएशन को यह छूट है कि वह इस आदेश के प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर इस आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन कर सकती है जैसा कि उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है ।

[सं. नं. II/21022/8(33)/87-एफ. सी. आर. ए.-I]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th August, 1987

## ORDER

S.O. 770(E).—Whereas the Association named Velemegna Good News Society Hospital, Bidar-585401 has been registered under sub-section (1) of Section 6 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) ;

And whereas the Central Government after making necessary inquiry has come to the conclusion that the Velemegna Good News Society Hospital, Bidar-585401 has failed to send the intimation and accounts of the receipts and utilisation of foreign contributions for the years 1981 to 1984 in the prescribed manner and within the prescribed time. The Velemegna Good News Society Hospital, Bidar-585401 has also been maintaining accounts in more than one bank whereas it had agreed to accept foreign contributions through a seperate bank account No. 9996 in the Branch of the Canara Bank at Mohan Market, Bidar. Thus it has violated the provisions of section 6 of the said Act and the relevant Rules framed thereunder.

Now, therefore, without prejudice to the penal provisions contained in the aforesaid Act, the Central Government being satisfied that the Velemegna Good News Society Hospital has violated the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Foreign Contribution (Regulation) Act read with the relevant Rules framed thereunder and in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 6 of the said Act hereby prohibits that aforesaid Association namely Velemegna Good News Society Hospital, Bidar-585401 (including its branches and units) shall not accept any foreign Contribution without prior permission of the Central Government from the date of issue of this order.

The Association is, however, at liberty to make a representation against this order within sixty days from the date of receipt of this order as prescribed in the said Act.

[File No. II|21022|8(33)|87-FCRA. II]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987